



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-10052024-254153  
CG-MH-E-10052024-254153

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328]  
No. 328]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 10, 2024/वैशाख 20, 1946  
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 10, 2024/VAISAKHA 20, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 10 मई, 2024

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/174 - बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 तथा धारा 30 के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4, धारा 8 तथा धारा 31 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

- इन विनियमों को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 में, विनियम 11 में,-
  - उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(2) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड को, हर महीना समाप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, इन विनियमों की अनुसूची-III के भाग-क में निर्धारित की गई रकम अदा करेगा, और इस रकम की गणना इस आधार पर की जाएगी कि वित्तीय वर्ष के उसके वार्षिक व्यापारावर्त के हिसाब से उस महीने तक कितनी रकम बनती है, और उस रकम में से उस वित्तीय वर्ष में पहले से अदा की जा चुकी विनियामक (रेग्युलेटरी) फीस की रकम घटा दी जाएगी:

**स्पष्टीकरण:** इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, शब्दों “वार्षिक व्यापारावर्त” का अर्थ है – संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में हुए लेनदेन (ट्रांजैक्शन) का कुल मूल्य [कृषि कमोडिटी डेरिवेटिव के व्यापारावर्त (टर्नओवर) को छोड़कर]:

परंतु यह कि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, वित्तीय वर्ष के समाप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, कृषि कमोडिटी डेरिवेटिव में हुए लेनदेन (ट्रांजैक्शन) के कुल मूल्य पर एक लाख रुपये की सपाट विनियामक (रेग्युलेटरी) फीस भी अदा करेंगे।”

## II. उप-विनियम (3) में,-

क. शब्दों “वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के” के स्थान पर शब्द “हर महीना” आ जाएगा।

ख. शब्द “पंद्रह दिनों के भीतर, उस” के बाद और शब्दों “के दौरान” से पहले दिए हुए शब्द “तिमाही” के स्थान पर शब्द “महीने” आ जाएगा।

ग. परंतुक हट जाएगा।

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./097/2024-25]

## पाद टिप्पण :

1. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/41, 3 अक्तूबर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018, तत्पश्चात् –
  - (क) 4 जून 2019 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/21, द्वारा
  - (ख) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
  - (ग) 8 अक्तूबर, 2020 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/32, द्वारा
  - (घ) 23 मार्च, 2021 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/12, द्वारा
  - (ङ) 13 अगस्त, 2021 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/44, द्वारा

- (च) 12 अगस्त, 2022 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/93, द्वारा
- (छ) 15 नवम्बर, 2022 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/104, द्वारा
- (ज) 28 फरवरी, 2023 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/124, द्वारा
- (झ) 24 जुलाई, 2023 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/139, द्वारा
- (ञ) 22 अगस्त, 2023 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/148, द्वारा
- (ट) 26 अप्रैल, 2024 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/171, द्वारा

संशोधित हुए थे।

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

Mumbai, the 10th May, 2024

### SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) (STOCK EXCHANGES AND CLEARING CORPORATIONS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/174.**—In exercise of the powers conferred by sections 4, 8A and 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, read with sections 11 and 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018, namely, –

1. These regulations may be called the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2024.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018, in regulation 11, -

I. sub-regulation (2) shall be substituted with the following sub-regulation, namely,–

“(2) A recognised stock exchange shall pay to the Board, within fifteen days from the end of each month, the amount provided in Part–A of Schedule–III to these regulations on its annual turnover for the financial year till the end of that month, after adjusting any regulatory fee already paid in that financial year:

**Explanation:** For the purpose of this sub-regulation, the expression “annual turnover” shall mean the aggregate value of the transactions, excluding turnover on agricultural commodity derivatives, which took place on the recognised stock exchange during the relevant financial year:

Provided that the recognized stock exchanges shall also pay, within fifteen days from the end of the financial year, a flat regulatory fee of one lakh rupees on the aggregate value of the transactions on agricultural commodity derivatives.”

## II. in sub-regulation (3), -

- A. for the words “quarter of a financial year”, the word “month” shall be substituted.
- B. the word “quarter” appearing after the words “during that” shall be substituted with the word “month”.
- C. the proviso shall be omitted.

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./097/2024-25]

**Footnote:**

1. The Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 3rd October 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/41.
2. The Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 were subsequently amended on—
  - (a) 4<sup>th</sup> June, 2019, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/21.
  - (b) 17<sup>th</sup> April, 2020, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
  - (c) 8<sup>th</sup> October, 2020, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/32.
  - (d) 23<sup>rd</sup> March, 2021, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/12.
  - (e) 13<sup>th</sup> August, 2021, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/44.
  - (f) 12<sup>th</sup> August 2022, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/93.
  - (g) 15<sup>th</sup> November, 2022, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/104.
  - (h) 28<sup>th</sup> February, 2023, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/124.
  - (i) 24<sup>th</sup> July, 2023, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/139.
  - (j) 22<sup>nd</sup> August, 2023, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Third Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/148.
  - (k) 26<sup>th</sup> April, 2024, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/171.